

विचारार्थ विषय - वित्त नियंत्रक
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
एनएचएम-वित्त प्रभाग

विभाग का नाम	एनएचएम वित्त प्रभाग
रिपोर्टिंग अधिकारी	निदेशक/उप सचिव (एनएचएम-वित्त)
पद का नाम	वित्त नियंत्रक
पदों की संख्या	एक (01)
स्थान	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली, उपर्युक्त पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से पूर्ण रूप से संविदा आधार पर आवेदन आमंत्रित कर रहा है।

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समग्र जन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। एनएचएम के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन और निगरानी में सहायता के लिए पूर्ण रूप से संविदा आधार पर तकनीकी सहायता के रूप में मानव संसाधन की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एनएचएम वित्त प्रभाग के अंतर्गत कार्यरत वित्तीय प्रबंधन समूह (एफएमजी) आंतरिक लेखापरीक्षा और बाह्य लेखापरीक्षा, निधि वितरण और कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन की निगरानी सहित कार्यक्रम की योजना, बजट निर्माण, लेखांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण में शामिल हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना है। सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन, निर्णय लेने और कार्यक्रम की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। सटीक और समय पर प्राप्त वित्तीय जानकारी कार्यक्रम, निधि जारी करने संबंधी विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए आधार प्रदान करती है और कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन में विलंब को कम करने में सहायक होती है। एफएमजी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी कार्यक्रमों को जीएफआर में अंतर्निहित सभी प्रावधानों और व्यय विभाग की शर्तों का पालन करते हुए समय पर निधि प्राप्त हो। एनएचएम के अंतर्गत, भारत सरकार का प्रयास है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई निधियों के प्रबंधन के लिए प्रभावी वित्तीय प्रबंधन क्षमताएं विकसित की जाएं। राज्यों को भी राज्य स्तर पर वित्तीय प्रबंधन समूह (एफएमजी) स्थापित करने और जिला स्तर पर वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

2. उद्देश्य

केंद्रीय स्तर पर वित्त नियंत्रक का कार्य एनएचएम और एनएचएम ढांचे के अंतर्गत अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्ति, व्यय, एफएमआर, एसएफपी, वैधानिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, पीएफएमएस, एसएनए/एसएनए-स्पर्श, उपयोगिता प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय दौरे और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उन पर की गई कार्रवाई सहित समग्र वित्तीय प्रबंधन की निगरानी करना शामिल है।

3. कार्य-क्षेत्र

मुख्य उत्तरदायित्व:

1. मौजूदा दिशा-निर्देशों और मानदंडों के आधार पर निर्गम प्रस्तावों के औचित्य/अनुपालन को सुनिश्चित करना।
2. आवंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्तीय विश्लेषक और वित्त सहायकों की टीम का पर्यवेक्षण, निगरानी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करना।
3. राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर एसएनए-स्पर्श का कार्यान्वयन।
4. बीई/आरई तैयार करना और व्यय का पूर्वानुमान करना।
5. विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों और पूर्व नीतिगत इनपुटों के बीच व्यय प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना।
6. विकास साझेदारों के साथ समन्वय, स्वीकार्य व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दावे तैयार करना और प्रस्तुत करना।
7. पीएफएमएस डेटा की सहायता से वित्तीय एमआईएस और समानांतर कार्यक्रम प्रबंधन स्थिति तैयार करना और राज्यों की मैनुअल रिपोर्टों के साथ उनका मिलान करना।
8. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मंत्रालय के एचएमआईएस पोर्टल पर वित्तीय जानकारी अपलोड करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।
9. निधियों के आवंटन, निर्गमन और उपयोग आदि के संकलन हेतु रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ समन्वय करना।
10. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें राष्ट्रीय विकास आयोग (एनडीसीपी) भी शामिल हैं, के लिए कानूनी लेखापरीक्षा की व्यवस्था करना, उनकी निगरानी, समीक्षा, विश्लेषण, लेखापरीक्षा करना और भारत सरकार की टिप्पणियों का अनुपालन करना और विकास भागीदारों को लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समय पर प्रस्तुति करना।
11. समवर्ती लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, मासिक रिपोर्टों की प्राप्ति और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समवर्ती लेखा परीक्षा की निगरानी और कार्यान्वयन करना।
12. राज्यों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संगठन और अन्य संस्थानों में राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर के वित्त एवं लेखा कर्मचारियों का समय-समय पर क्षमता निर्माण करना।
13. समय-समय पर एसएनए-स्पर्श के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने सहित राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर

एसएनए-स्पर्श के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

अन्य उत्तरदायित्व:

1. एनएचएम के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करने, व्यय और अप्रयुक्त शेष राशि की निगरानी करना।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एनएचएम कार्यक्रमों की एफएमआर, निधि स्थिति विवरण की समयबद्ध प्राप्ति और उनके विश्लेषण की निगरानी करना, उनकी प्रत्यक्ष और वित्तीय प्रगति का मिलान करना।
3. आवंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सभी वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा मामलों के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना और उनके संबंध में फीडबैक देना।
4. संसदीय प्रश्नों/समितियों, आरटीआई, लोक शिकायतों, वीआईपी संदर्भों, सीएजी और डीजीएसीई द्वारा लेखा-परीक्षाओं आदि के लिए सूचना/डेटा सहायता प्रदान करना।
5. राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर एनएचएम के अंतर्गत वित्तीय प्रदर्शन संकेतकों और वित्तीय एवं लेखा प्रक्रियाओं के अभिसरण की निगरानी करना।
6. वित्तीय प्रबंधन प्रदर्शन समीक्षा, वित्तीय अध्ययन और सुधार के लिए सिफारिशों सहित स्थिति रिपोर्ट तैयार करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का संयुक्त दल द्वारा दौरा करना। जेआरएम, सीआरएम में भाग लेना और उनके द्वारा की गई टिप्पणियों और संस्तुतियों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट तैयार करना।
7. एनएचएम के अंतर्गत निधियों के निर्गमन हेतु सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)/एसएनए-एसपीएआरएसएच को लागू करना।
8. आवंटित राज्यों की वार्षिक पीआईपी का मूल्यांकन करना, नोडल अधिकारियों को मसौदा/अंतिम टिप्पणियां प्रस्तुत करना और एनपीसीसी की विचार-विमर्श बैठकों में भाग लेना।
9. एनएचएम के अंतर्गत, राज्य कोषागार से राज्य स्वास्थ्य समिति के बैंक खातों में निधि हस्तांतरण की निगरानी करना।
10. समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।

4. आउटपुट

सभी कार्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में समय पर कार्रवाई करना और प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक/उप-सचिव (एनएचएम-वित्त) को की गई कार्रवाई और प्रस्तावित कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

5. अर्हता एवं अनुभव

अनिवार्य अर्हताएं:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एमबीए (वित्त)/सीए/पीजीडीबीएम (वित्त)/पीजीडीबीए (वित्त) की डिग्री।

किसी सामाजिक क्षेत्र, निजी या सरकारी क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन संचालन, सरकारी लेखांकन, निधि प्रवाह प्रबंधन, उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा किसी सरकारी व्यवस्था में योजना-वार व्यय रिपोर्ट करने का न्यूनतम 6 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय अर्हता:

लेखांकन पैकेज विकास, प्रणाली विश्लेषण, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आदि में अनुभव होना अतिरिक्त अर्हता मानी जाएगी। डेटा विश्लेषण में दक्षता के साथ डेटा विश्लेषणात्मक उपकरण/लेखांकन उपकरण/सॉफ्टवेयर में अनुभव। सरकारी पीएफएमएस पोर्टल पर कार्य करने का अनुभव। एमएस-ऑफिस (विशेष रूप से एक्सेल/पावरपॉइंट) में दक्षता।

6. आयु

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अधिकतम आयु 60 वर्ष।

7. यात्रा और निर्वाह भत्ता

परामर्शदाता को राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तर पर व्यापक रूप से यात्रा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी यात्राओं को निदेशक/उप-सचिव (एनएचएम-वित्त) द्वारा अग्रिम रूप से अधिकृत किया जाना चाहिए। यात्रा के दौरान, परामर्शदाता को एनएचएसआरसी नियमों के अनुसार भोजन/आवास संबंधी व्यय के लिए एक निर्धारित दैनिक भत्ता प्राप्त होगा।

8. रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं

परामर्शदाता प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक/उप-सचिव (एनएचएम-वित्त) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

9. परामर्श अवधि

यह संविदा प्रारंभ में, 31 मार्च 2027 तक वैध रहेगी, लेकिन कार्य निष्पादन और प्रभाग की आवश्यकता के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। पहले तीन महीने प्रायोगिक आधार पर होंगे। संतोषजनक कार्य निष्पादन के अधधीन, परामर्श सेवा पूरे एक वर्ष तक जारी रहेगी और संविदा को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विवेकानुसार नवीनीकृत किया जा सकता है। तथापि, किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का लिखित नोटिस देकर परामर्श सेवा समाप्त की जा सकती है।

10. पारिश्रमिक

परामर्शदाता को भारत सरकार के संयुक्त चयन बोर्ड और अन्य नामित विषय विशेषज्ञों (यदि कोई हो) द्वारा यथा-निर्धारित अर्हताओं और अनुभव के आधार पर **90,000/- रुपये से 1,5,0000/- रुपये** प्रति माह

के बीच समेकित मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। पारिश्रमिक का निर्धारण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की चयन/समीक्षा समिति द्वारा उस समय प्रचलित शर्तों के आधार पर किया जाएगा जब इस प्रयोजनार्थ मुक्त विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

परामर्शदाता परामर्श समझौते में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट प्रावधानों के अलावा किसी अन्य लाभ, जैसे- सब्सिडी, मुआवजा या पेंशन, का हकदार नहीं होगा। परामर्शदाता कर से मुक्त नहीं होगा और प्राप्त पारिश्रमिक पर मौजूदा नियमों के अनुसार लगाए गए किसी भी कर की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। परामर्शदाता का हाल ही का सीवी और प्राप्त अंतिम परामर्श भुगतान का प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए।

आवेदन कैसे करें: अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि एनएचएसआरसी की वेबसाइट (<http://nhsrcindia.org>) पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन को सही-सही भरें। आवेदन निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **14-अप्रैल-2026** है।

नोट:

यदि आपको इस पद के लिए आवेदन करते समय कोई समस्या आती है, तो आप 011-26108983/84 (सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच) पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या himanshu.saxena@nhsrcindia.org और mohfw.recruitment@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं।

लिखित परीक्षा की शर्तें:

यदि भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा शामिल है, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 50% होंगे। हालांकि, यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या अधिक है, तो 1 रिक्ति के लिए 1:5 का अनुपात अपनाया जाएगा और शीर्ष 5 उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। यदि 2 या अधिक उम्मीदवार समान अंकों के साथ उत्तीर्ण होते हैं, तो ऐसे सभी उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।